उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

जन सामान्य हेतु
ई–वेस्ट संबंधी आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, फोटोकापी मशीन, रेफ्रीजिरेटर, ए0सी0, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, रेडियो/ट्रांजिस्टर, डिजिटल कैमरा आदि को प्रयोग करने के पश्चात उसको बदलने/खराब होने पर दूसरा नया उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो खराब उपकरण को ई–वेस्ट कहा जाता है। इस ई–वेस्ट के समुचित निस्तारण के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1035 (ई) दिनॉक 12.05.11 ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई–वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किए जाने का प्राविधान है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 3714/55–पर्या/13 दिनॉक 10.9.13 द्वारा उ0प्र0 में ई–वेस्ट के अवैध रूप से हथालन और प्रबन्धन को रोकने के संबध में आदेश जारी किए गए हैं।

अतः जन साधारण एवं संबंधित इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल उद्योगों/संस्थानों/ट्रेडर्स को निर्देशित किया जाता है कि ई–वेस्ट को बोर्ड से नियमानुसार प्राधिकार व पंजीकरण प्राप्त एकत्रण केन्द्र/डिस्मेंटलर/ रिसाईकिलर के माध्यम से ही निस्तारित करें। बोर्ड द्वारा ई–वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने वाली इकाईयों को पंजीकृत कर उनकी सूची बोर्ड की website www.uppcb.com मे प्रदर्शित है जिसके माध्यम से ई–वेस्ट का निस्तारण किया जा सकता है। ई–वेस्ट को खुले में तोड़ना/जलाना/निस्तारित करना प्रतिबंधित है, साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमति पत्र के बिना ई–वेस्ट को राज्य में प्रवेश की अनुमति नही है।

ई–वेस्ट के रिसाईक्लिंग प्लांट (एकत्रण केन्द्र/डिस्मेन्टलिंग सेन्टर/ रिसाईकिलर) को लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति/उद्यमी अपना आवेदन (प्राधिकार/रजिस्ट्रेशन हेतु) बोर्ड के सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, अथवा बोर्ड मुख्यालय, टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ मे जमा कर सकते हैं।

ई–वेस्ट नियम, 2011 का अनुपालन न करना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराध है जिसमे कारावास व जुर्माने का प्राविधान है।

सदस्य सचिव